26/2/26

उभयपक्ष उपरान्त बहस सुनी गई। प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय अलग से शामिल किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2021/59

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.26 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर .

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.

प्रकरण सं0 77/2021 दायर दिनांकः– 01–07–2021

GCMS:- 2021/59

1–शादा बेगम पत्नी गनी मोहम्मद
2– मोहम्मद रफी पुत्र गनी मोहम्मद
3–सीमा पुत्री गनी मोहम्मद
4– नूरजहां पुत्री गनी मोहम्मद

अकवाम मुसलमान साकिनान सरदारगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

––– प्रार्थीगण

बनाम

1–गनी मोहम्मद पुत्र अकबर
2–नूरहसन पुत्र अकबर
3–रेशमा पुत्री अकबर
4–लालसैन पुत्र अकबर
5–इमामसैन पुत्र अकबर
6–इलाईसैन पुत्र अकबर
7– मंजूरा पुत्री अकबर
8–दादू खां पुत्र अकबर
9–मोहम्मद हुसैन पुत्र अकबर
10–रजो पत्नी गनी मोहम्मद

अकवाम मुसलमान साकिनान सरदारगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

11–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ भूमिधारी
12– उप पंजीयक सूरतगढ ।

–––– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिकारी 1955

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपस्थित :–

1– श्री जसवीर सिंह बराड़ अभिभाषक प्रार्थी
2– श्री शिशपाल शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी न0 1 व 8

–:– निर्णय –:– दिनांकः– 26.02.2026

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषक प्रार्थीगण, अप्रार्थी न0 1 व 8 उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके चक 8 एस जी एम की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता सं0 4/2 के प0न0 72/367 मु0न0 58 के किला नं0 9/1 में 0.202 है0, 10 ता 25/3.858 है0 = 4.060 है0 नहरी दोयम व गै0मु0 रास्ता, प0न0 73/367 मु0न0 59 के किला न0 11 ता 20/2.530 है0 , 21/0.127 है0, 22/0.165 है0, 23/0.228 है0 , 24–25/0.5506 है0 = 3.556 है0 नहरी दोयम मय खाला व0 गै0मु0 रास्ता , प0न0 74/367 मु0न0 60 के किला न0 6/2 में 0.089 है0 , 15–16/0.506 है0 = 0.595 ह0 नाली दोयम व गै0मु0 रास्ता , प0न0 73/368 मु0न0 64 के किला न0 4/0.025 है0 , 5/0.114 है0 = 0.139 है0 नाली दोयम व गै0मु0 रास्ता कुल 8.3[illegible] [illegible]री दोयम मय खाला व गै0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि अप्रार्थी न0 1 ता 9 [illegible] रिकार्ड है एवं चक 4 एफ डी एम बी की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता [illegible]/45 के प0न0 98/352 मु0न0 28 के किला न0 1 ता 20/5.060 है0 , 21/2 में 0.202 है0 , 22/2 में 0.127 है0 = 5.389 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि अप्रार्थी सं0 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है । प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 10 एक ही परिवार के सदस्य है । प्रार्थीया न0 1 अप्रार्थी न0 1 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.26 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

पहली पत्नी है जिसके नुत्फे से प्रार्थी न0. 2 ता 4 पैदा हुये है व अप्रार्थी न0 10 अप्रार्थी न0 1 की दुसरी पत्नी है । अप्रार्थी न0 1 व 2 को चक 4 एफ डी एम बी का रकबा आवटन शुदा है जो अप्रार्थी न0 1 व 2 के पिता अकबर ने अपने जीवन काल में अपने नाम के रकबा की आय से अर्जित करके अप्रार्थी न0 1 व 2 के नाम से आवटन करवाया था । उक्त आवटन शुदा रकबा पुरे परिवार की मेहनत व प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी न0 1 ता 10 के ससूर / पिता/ दादा अकबर के रकबा से मेहनत कर प्राप्त किया है । इसलिए उक्त रकबा अप्रार्थी न0 1 को प्राप्त रकबा पैतृक सम्पति की श्रेणी में आता है । पैतृक सम्पति में पिता के जीवन काल में पुत्रगण अपना हक व हिस्सा घोषित करवाने के पुरे- पुरे हकदार है । अप्रार्थी सं0 1 उक्त विरास्तन प्राप्त रकबा को अप्रार्थी न0 10 (अप्रार्थी न0 1 की दुसरी पत्नी) के अकेली के नाम करवाने के फिराक में है । प्रार्थी न0 1 अप्रार्थी न0 1 की पहली पत्नी होने के कारण अप्रार्थी न0 1 के रकबा में 1/3 हिस्सा के खातेदार कृषक है । मुस्लिम विधी के अनुसार पत्नी अपने पति के रकबा में बराबर की हकदार होती है । इसलिए प्रार्थीगण 1/3 हिस्से के मुस्लिम विधी अनुसार कानूनी हकदार है । अप्रार्थी न0 1 ने उक्त जैर प्रकरण में प्रार्थीगण को अपने 1/3 हिस्सा का कब्जा भी सौंप रखा है । जिस पर प्रार्थीगण काबिज है प्रार्थीगण को अपने 1/3 हिस्से से वंचित करने की नियत से ही अप्रार्थी सं0 1 जबरदस्ती पूर्ण रकबा अप्रार्थी न0 10 के नाम कर बेचान करने पर उतारू है । प्रार्थीगण ने अपने 1/3 हिस्से के कब्जा काश्त रकबा को सुधार कर काबिज काश्त किया है । अप्रार्थी सं0 1 ता 10 जबरदस्ती प्रार्थीगण को उनके हिस्से व कब्जा काश्त से बेदखल करने पर उतारू है । अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरपाई बड़ी मुश्किल होगी । इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आशय का शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने का निवेदन किया ।

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्र किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड समन से तलब किया गया। अप्रार्थी न0 1 व 8 का अभिभाषक शिशपाल शर्मा उपस्थित होकर अपना जबाब प्रार्थना-पत्र एवं प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी व धारा 151 सी पी सी प्रस्तुत किया । अप्रार्थी सं0 9 व 10 बावजूद समन तामिल हाजिर नही आये इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई ।

अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । जिसमें प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाके चक 8 एस जी एम की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता सं0 4/2 की कुल 8.350 है0 नहरी दोयम मय खाला व गै0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि अप्रार्थी न0 1 ता 9 के नाम बहिस्सा बराबर एवं चक 4 एफ डी एम बी की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता सं0 20245 की कुल 5.389 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि अप्रार्थी सं0 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है । प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 10 एक ही परिवार के सदस्य है । प्रार्थीया न0 1 अप्रार्थी न0 1 की पहली पत्नी है जिसके नुत्फे से प्रार्थी न0. 2 ता 4 पैदा हुये है व अप्रार्थी न0 10 अप्रार्थी न0 1 की दुसरी पत्नी है । अप्रार्थी न0 1 व 2 को चक 4 एफ डी एम बी का रकबा आवटन शुदा है जो अप्रार्थी न0 1 व 2 के पिता अकबर ने अपने जीवन काल में अपने नाम के रकबा की आय से अर्जित करके अप्रार्थी न0 1 व 2 के नाम से आवटन करवाया था । उक्त आवटन शुदा रकबा पुरे परिवार की मेहनत व प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी न0 1 ता 10 के ससूर / पिता/ दादा अकबर के रकबा से मेहनत कर प्राप्त किया है । इसलिए उक्त रकबा अप्रार्थी न0 1 को प्राप्त रकबा पैतृक सम्पति की श्रेणी में आता है । पैतृक सम्पति में पिता के जीवन काल में पुत्रगण अपना हक व हिस्सा घोषित करवाने के पुरे- पुरे हकदार है । अप्रार्थी सं0 1 उक्त विरास्तन प्राप्त रकबा को अप्रार्थी न0 10 (अप्रार्थी न0 1 की दुसरी पत्नी) के अकेली के नाम करवाने के फिराक में है । प्रार्थी न0 1 अप्रार्थी न0 1 की पहली पत्नी होने के कारण अप्रार्थी न0 1 के रकबा में 1/3 हिस्सा के खातेदार कृषक है । मुस्लिम विधी के अनुसार पत्नी अपने पति के रकबा में बराबर की हकदार होती है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jat Prakash Meena
Date: 2026.02.26 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

इसलिए प्रार्थीगण 1/3 हिस्से के मुस्लिम विधी अनुसार कानूनी हकदार है। अप्रार्थी न0 1 ने उक्त जैर प्रकरण में प्रार्थीगण को अपने 1/3 हिस्सा का कब्जा भी सौंप रखा है। प्रार्थीगण ने अपने 1/3 हिस्से के कब्जा काश्त रकबा को सुधार कर काबिज काश्त किया है। अप्रार्थी सं0 1 ता 10 जबरदस्ती प्रार्थीगण को उनके हिस्से व कब्जा काश्त से बेदखल करने पर उतारू है। अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरपाई बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए प्रार्थीगण ने वाद–पत्र के निर्णय तक निषेधाज्ञा को यथावत रखने का निवेदन किया।

अप्रार्थी न0 1 के अभिभाषक ने जबाब प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीया न0 2 शादा बेगम अप्रार्थी न0 1 गनी मोहम्मद ने दिनांक 18–03–1989 को तलाक दे दिया था । इसलिए वह अप्रार्थी न0 1 के परिवार की सदस्य नही है । चक 4 एफ डी एम बी का रकबा तो स्वअर्जित रकबा है । जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक ही नही बनता है । अप्रार्थी न0 1 व उसके पिता के नाम से आवटित रकबा में प्रार्थीगण का कोई भी हक व हिस्सा नही है । चक 8 एस जी एम के खाता सं0 4/2 की 8.350 है0 रकबा जो अप्रार्थी सं0 1 ता 9 के पिता के नाम का खातदेरी है । इस रकबा में अप्रार्थी न0 1 को जो रकबा विरास्तन प्राप्त हुआ है उसमें भी मुस्लिमी विधी के अनुसार कोई हक व हिस्सा नही मिलता है। इसके अलावा अप्रार्थी न0 5 तो दिनांक 15–11–2017 को ही मौत हो चुकी थी व मृतक के विरूद्ध तो दावा चलने का सवाल ही पैदा नही होता है। प्रार्थीगण का जैरवाद रकबा पर कब्जा ही नही है तो प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाले नुकसान का मतलब ही नही है। अप्रार्थी न0 1 का ही रकबा पर कब्जा काश्त है। वाद कारण पेदा नही होता व वाद कारण के अभाव में दावा व प्रार्थना–पत्र 212 आर टी ए पेश ही नही कर सकते है। प्रार्थीगण ने एक तरफा तौर पर स्थगन जारी करवाया है। इसलिए उक्त स्थगन आदेश निरस्त किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावैजो का गहनता से पठन व मनन किया गया। अप्रार्थी स0 1 के नाम वाके चक 8 एस जी एम की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता सं0 4/2 की कुल 8.350 है0 नहरी दोयम मय खाला व गै0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि 1/9 हिस्सा खातेदारी भूमि एवं चक 4 एफ डी एम बी की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता सं0 20/45 की 5.389 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि मे 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। जिसमें उक्त भूमि में प्रार्थीगण को उसके हक व हिस्सा की 1/3 हिस्सा भूमि में अप्रार्थी न0 1 के द्वारा रहन बेचान न करने हेतू पाबन्द किया जाना उचित समझते है।

उक्त विवेचना अनुसार प्रकरण में दिनांक 23–07–2021 को जारी स्थगन आदेश को संशोधन कर उभय पक्ष को पाबन्द किया जाता है कि जैरवाद रकबा चक 8 एस जी एम की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता सं0 4/2 की कुल 8.350 है0 नहरी दोयम मय खाला व गै0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि 1/9 हिस्सा खातेदारी भूमि एवं चक 4 एफ डी एम बी की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता सं0 20/45 की 5.389 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि मे वाद–पत्र के निर्णय तक प्रार्थीगण के कब्जा कास्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करवाये , रकबा रहन बेचान ना करे मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतू पाबन्द किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील [illegible] दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.[illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.26 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जयप्रकाश मीना)
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज.)
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ